


103



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा, जिला-रीवा
(म0प्र0)

प्र0 क0-निगरानी/2101-II/2016



- 1-अम्बिका प्रसाद मिश्र पिता स्व0 केशव प्रसाद मिश्र उम्र-~~44~~ वर्ष,
 - 2-मिथिला प्रसाद मिश्र पिता स्व0 केशव प्रसाद मिश्र उम्र-~~74~~ वर्ष,
- दोनो का पेशा कृषि निवासी ग्राम-पहरखा, थाना/तहसील-नईगढी, जिला-रीवा
(म0प्र0) —————आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

- 1-यज्ञ प्रताप मिश्र पिता स्व0 श्यामसुन्दर मिश्र निवासी ग्राम-पहरखा,
थाना/तहसील-नईगढी, जिला-रीवा (म0प्र0)
- 2-शासन म0 प्र0 द्वारा पटवारी हल्का भरिगवां क0-37 तहसील-नईगढी
जिला-रीवा (म0प्र0) —————अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

आवेदक अम्बिका प्रसाद मिश्र
द्वारा देया 19-10-17

कलक लॉफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा


यह निगरानी दिनांक 06.10.2016
को अदम पैरवी में निरस्त हो चुकी
है।
म0 प्र0 भू0रा0सं0 1959 की धारा 35
(3)सहपठित धरा 32 के अधीन
पुर्नस्थापना हेतु आवेदन पत्र

आवेदकगण का विनम्र का निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:-

- 1- माननीय न्यायालय में आवेदकगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार नईगढी के प्रकरण क0-21अ-12/14-15 आदेश दिनांक 12.05.2016 के विरुद्ध निगरानी याचिका दिनांक 28.06.2016 को राजस्व मण्डल ग्वालियर में

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/रेस्टो0/रीवा/2017/3745

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 2101-दो/2016 में दिनांक 06.10.16 को अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। अतः अनुरोध किया गया है कि रेस्टोर्ड स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक निगरानी 2101-दो/2016 में दिनांक 06.10.16 पुनः नम्बर लिया जावे।</p> <p>2- तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण क्रमांक निगरानी 2101-दो/2016 में दिनांक 06.10.16 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण रेस्टोर्ड कर समाप्त किया जाता है।</p>	 सदस्य